न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

अपील / 10 / 2024

1– भगवान सिहं } पुत्रान हारया, निवासीयान जगजीवनपुर थाना वैर
2– शेरसिहं } तहसील वैर जिला भरतपुर (राज0) ....अपीलार्थी0

बनाम

हारया पुत्र सांवलिया जाति मीना निवासी जगजीवनपुर थाना व तहसील वैर जिला भरतपुर (राज0) .....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 व खिलाफ निर्णय दिनांक 26.09.2024 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन पीठासीन अधिकारी, भरण पोषण वैर ।

उपस्थित :–
1–श्री राजेश पचौरी अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री मोहन सिहं राना अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

दिनांक 17.01.2025

निर्णय

अपीलान्टान ने यह अपील विरुद्व रेस्पो. व खिलाफ उपखण्ड अधिकारी वैर के आदेश दिनांक 26.09.2024 के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2024 में उपखण्ड अधिकारी वैर ने प्रार्थना पत्र धारा 05 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 को स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट सं0 1 व 2 को 5000–5000/– रू. पृथक–पृथक रेस्पोडेन्ट हारया पुत्र सांवलिया जाति मीना निवासी जगजीवनपुर थाना व तहसील वैर जिला भरतपुर (राज0) के निजी खर्चे हेतु जमा कराये जाने की आज्ञा दी गई है, साथ ही रेस्पो0 हारया पुत्र सांवलिया को परेशान नही करने सद्भावना पूर्ण व्यवहार करने एवं उनकी सेवा सुश्रुषा का ध्यान रखने के लिये पावन्द किया गया है। उपखण्ड अधिकारी वैर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. को नोटिस जारी किये गये। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भरण पोषण अधिकरण, वैर से तहत पत्रावली तलब की गई। एस.डी.ओ. वैर के पत्र क्रमांक न्याय/24/804 दिनांक 26.11.2024 से प्राप्त तहत पत्रावली को नत्थीबद्ध किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि लायक तहत अदालत ने निर्णय पारित करते समय यह गौर नहीं किया है कि रेस्पो0 हारया की उम्र करीब 90–92 साल है जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है जिसकी बाल बुद्धि विकसित हो गयी है। रेस्पो0 शुरू से अपने बडे पुत्र के साथ कोटा में निवास करता था। जहॉ से दिसम्बर 2023 को रेस्पो0 की पुत्री सीमा जो रेस्पो0 व अपीलान्ट की जायदाद पर नजर रखती है, वह रेस्पो0 को बरगलाकर अपने साथ ससुराल ले आयी है और रेस्पो0 से उसकी सोचने समझने की शक्ति के विरीत प्रार्थना पत्र की आढ़ में रेस्पो0 व अपीलान्ट की जायदाद व कृषि भूमि पर एकल स्वामित्व करना चाहती है। अपीलान्टान द्वारा कभी भी रेस्पोडेन्ट का भरण पोषण करने से गुरेज नहीं किया है। अपीलान्टान पेंशनभोगी हैं जिनके परिवार का खर्चा वगै0 कृषि भूमि से होता है उसी के आधार पर उनका भरण पोषण आज तक चलता आ रहा है। लेकिन लायक अदालत तहत ने उनकी कृषि भूमि से उन्हें बेदखल कर उन्हे इस आदेश हेतु प्रतिबन्धित किया है कि अपीलान्टान कृषि भूमि जो विभिन्न गांवों में है। रेस्पो0 के कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें जबकि रेस्पो0 कोई कार्य करने में सक्षम ही नहीं है। तहत न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है कि यह निर्णय रेस्पोडेन्ट के हितों से सम्बन्धित आदेश नहीं है बल्कि श्रीमती सीमा के हितों से सम्बन्धित आदेश है जिसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने कथनों में बताया कि अपीलान्टान, रेस्पो0 को इस बृद्ध अवस्था में भी अपने पास नहीं रखते हैं ना ही भरण–पोषण खान–पान, चिकित्सा वस्त्र आदि देते हैं। वृद्धावस्था होने के कारण रेस्पो0 अपने सामान्य कार्य करने में भी असमर्थ है। अपीलान्टान द्वारा इस वृद्धास्था में भी अपने वृद्ध पिता को अकेला छोड रखा है। अपीलान्टान, रेस्पो0 के हिस्से की भूमि को बंटाई पर दे जाते हैं और स्वयं राशि ले जाते हैं। रेस्पो0 का एक पुस्तैनी मकान जो गॉव जगजीवनपुर में स्थित है पर अपीलान्टान ने ताले लगा रखे हैं। ऐसी स्थिति में रेस्पो0 को खाने एवं रहने के कोई आसरा नहीं है। मजबूरी में विवश होकर रेस्पो0 अपने भाई के पास रह रहा है। अपीलान्टान पेंशनभोगी है। जिनके कोटा एवं दिल्ली में पृथक–पृथक मकान बने हुये है। जो अपने–अपने परिवार के साथ वहॉ रहते हैं। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण कल्याण अधिनियम के अन्तर्गत तहत अदालत उपखण्डाधिकारी वैर द्वारा विधि अनुरूप नियमान्तर्गत सही निर्णय पारित किया गया हैं। अन्त में तहत न्यायालय के निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावलियों का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। अपीलान्ट के कथनों से हम सहमत नहीं हैं। बृद्धावस्था में अपने वृद्ध पिता की सेवा करना उनकी बुढ़ापे में देखभाल करना उनके पुत्रों का कर्त्तव्य

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

है। अतः दोनों पुत्रों का दायित्व है कि वे अपने वृद्ध पिता की सेवा सुश्रा (भरण पोषण) करें। उपखण्ड अधिकारी वैर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी वैर का निर्णय यथावत रखा जाता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी वैर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आदेश की पालना कठोरता से कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्राावली वापिस उपखण्ड अधिकारी वैर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर